

**अध्याय-II**  
**वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण**




## अध्याय-II

### वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

#### 2.1 परिचय

2.1.1 विनियोजन लेखे, विनियोजन अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट विभिन्न उद्देश्यार्थ दत्तमत्त अनुदानों एवं प्रभारित विनियोजनों की राशियों की तुलना में प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु सरकार के दत्तमत्त एवं प्रभारित व्यय के लेखे होते हैं। ये लेखे मूल बजट आकलनों, अनुपूरक अनुदानों, अभ्यर्पणों तथा पुनर्विनियोजनों को पृथक रूप से सूचीबद्ध करते हैं तथा बजट की दोनों प्रभारित व दत्तमत्त मदों के संबंध में विनियोजन अधिनियम द्वारा प्राधिकृत की तुलना में विभिन्न विनिर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूंजीगत तथा राजस्व व्यय को इंगित करते हैं। इस प्रकार, विनियोजन लेखे वित्त के प्रबंधन एवं बजटीय प्रावधान के अनुश्रवण को सुविधाजनक बनाते हैं इसलिए ये वित्त लेखों के सम्पूरक हैं।

चार्ट 2.1: बजट कार्यान्वयन का प्रवाह चार्ट



स्रोत: बजट नियमावली एवं विनियोजन लेखाओं में निर्धारित प्रक्रिया पर आधारित

2.1.2 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोजनों की लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि वास्तविक रूप से विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत किया गया व्यय विनियोजन अधिनियम के अंतर्गत दिए गए प्राधिकार के भीतर है तथा संविधान के प्रावधान के अंतर्गत प्रभारित किए जाने वाले अपेक्षित व्यय के अनुसार प्रभारित किया गया है। इसमें यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि इस प्रकार किया गया व्यय विधि, सम्बंधित नियमों, विनियमों एवं अनुदेशों के अनुरूप है। लेखापरीक्षा में ध्यान में आई बजट एवं व्यय प्रबन्धन तथा बजट नियमावली के उल्लंघन से सम्बंधित कमियों की अनुवर्ती परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

#### 2.2 विनियोजन लेखे का सारांश

वर्ष 2017-18 के दौरान 32 अनुदानों/विनियोजनों हेतु बजटीय प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति तालिका 2.1 में दी गई है।

तालिका 2.1: 2017-18 के मूल/अनुपूरक प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की स्थिति  
(₹ करोड़ में)

	व्यय का स्वरूप	मूल अनुदान/ विनियोजन	अनुपूरक अनुदान/ विनियोजन	योग	वास्तविक व्यय	बचत <sup>14</sup> (-)/ आधिव्य (+)	अभ्यर्पित राशि	31 मार्च को अभ्यर्पित बचतों का प्रतिशत ( कॉलम 7/कॉलम 6 )
	1	2	3	4	5	6	7	8
दत्तमत्त	I राजस्व	27,303.56	1,660.33	28,963.89	26,156.58	(-)2,807.31	3,888.79	139
	II पूंजीगत	3,530.60	624.45	4,155.05	3,781.07	(-)373.98	262.82	70
	III ऋण एवं अग्रिम	447.74	301.92	749.66	502.52	(-)247.14	257.21	104
	<b>कुल दत्तमत्त</b>	<b>31,281.90</b>	<b>2,586.70</b>	<b>33,868.60</b>	<b>30,440.17</b>	<b>(-)3,428.43</b>	<b>4,408.82</b>	
प्रभारित	IV राजस्व	3,553.52	327.34	3,880.86	3,847.91	(-)32.95	4.58	14
	V पूंजीगत	0	18.14	18.14	23.16	5.02	0.03	06
	VI लोक ऋण-चुकोती	3,104.56	395.29	3,499.85	3,499.85	0	0	लागू नहीं
	<b>कुल प्रभारित</b>	<b>6,658.08</b>	<b>740.77</b>	<b>7,398.85</b>	<b>7,370.92</b>	<b>(-)27.93</b>	<b>4.61</b>	
	आकस्मिक निधि ( यदि कोई है ) से विनियोजन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	<b>सकल योग</b>	<b>37,939.98</b>	<b>3,327.47</b>	<b>41,267.45</b>	<b>37,811.09</b>	<b>(-)3,456.36</b>	<b>4,413.43</b>	<b>लागू नहीं</b>

स्रोत: विनियोजन लेखे एन ए: लागू नहीं

## 2.2.1 विनियोजन लेखाओं का विश्लेषण: 2017-18

चार्ट 2.2: वास्तविक व्यय की तुलना में प्रावधान की सारांशित स्थिति



वर्ष 2017-18 के दौरान अनुदानों /विनियोजनों के अंतर्गत ₹ 3,456.36 करोड़ की समग्र बचतें/अप्रयुक्त निधियां दर्ज हुईं, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व प्रवर्ग के तहत 30 अनुदानों व नौ विनियोजनों में तथा 24 अनुदानों व एक विनियोजन में ₹ 3,843.12 करोड़ की बचतें हुईं जिसका समायोजन राजस्व प्रवर्ग के तहत दो अनुदानों व पूंजीगत प्रवर्ग के तहत एक विनियोजन में ₹ 386.76 करोड़ के आधिव्य द्वारा हुआ। इस अवधि के दौरान ₹4,413.43 करोड़ की बचतें अभ्यर्पित की गईं। इसके अतिरिक्त, अस्थाई नकदी असंतुलन के लिए सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से लिए गए ₹ 400 करोड़ के अर्थोपाय अग्रिमों<sup>15</sup> के पुनर्भुगतान को मिलाकर ₹ 37,811 करोड़ का कुल व्यय हुआ। अतः वर्ष के दौरान ₹ 37,411 करोड़<sup>16</sup> का निवल व्यय हुआ, जो कि कुल बजट प्रावधान का 91 प्रतिशत था।


<sup>14</sup> निधियों की प्रयुक्ति में गिरावट।

<sup>15</sup> सरकार की नकदी के प्रवाह एवं बहिर्वाह के मध्य अंतर को भरने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से लिया अस्थायी अग्रिम।

<sup>16</sup> ₹ 37,811 करोड़ - ₹ 400 करोड़ = ₹ 37,411 करोड़।

### 2.2.2 पूंजीगत एवं राजस्व

पूंजीगत एवं राजस्व दोनों लेखा में बचतें पाई गई (चार्ट 2.3)। बजट प्रावधान की नौ प्रतिशत बचतें पूंजीगत लेखे में देखी गई। विद्युत परियोजनाओं (₹ 252.06 करोड़), सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता (₹ 88.76 करोड़) में पर्याप्त बचतें हुई।



स्रोत: विनियोजन लेखे।

बजट प्रावधान (₹ 32,845 करोड़) से राजस्व व्यय (₹ 30,005 करोड़) 8.65 प्रतिशत कम था। शिक्षा (₹ 665.02 करोड़); ग्रामीण विकास (₹ 402.93 करोड़); जनजातीय विकास (₹ 242.34 करोड़) एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (₹ 211.66 करोड़) में पर्याप्त बचतें देखी गई।

### अनुदान-वार विश्लेषण

हिमाचल प्रदेश सरकार में विभिन्न विभागों द्वारा 32 अलग-अलग अनुदानों के माध्यम से व्यय किया जाता है। ₹3,456.36 करोड़ की निवल बचत, विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत हुए आधिक्य व बचतों का परिणाम थी (तालिका 2.2)।

तालिका 2.2: विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत हुए कुल आधिक्य अथवा बचतें

विवरण	राजस्व		पूंजीगत		ऋण		राशि (₹ करोड़ में)
	अनुदानों <sup>17</sup> की संख्या	विनियोजनों <sup>18</sup> की संख्या	अनुदानों की संख्या	विनियोजनों की संख्या	अनुदानों की संख्या	विनियोजनों की संख्या	
जिनमें बचतें हुई	30	9	24	1	-	-	3,843.12
जिनमें व्यय आधिक्य हुआ	2	-	-	1	-	-	386.76

स्रोत: विनियोजन लेखे।

<sup>17</sup> किए गए दत्तमत्त व्यय हेतु विधायिका द्वारा दत्तमत्त अनुदान का प्रावधान है।

<sup>18</sup> किए गए व्यय के लिए बजट में विनियोजन का प्रावधान किया गया है जो प्रत्यक्ष रूप से प्रभारित है व विधायिका के दत्तमत्त के अधीन नहीं है।

अनुदान जिनमें उच्च बचतें तथा उच्च व्यय आधिक्य हुआ को **परिशिष्ट 2.1 तथा 2.8** में सूचीबद्ध किया गया है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि दिन प्रतिदिन के प्रशासन हेतु निधियां प्रदान करने वाले अनुदानों पर व्यय का आधिक्य था जबकि बचतें उन अनुदानों में थी जिनके अंतर्गत महत्वपूर्ण स्कीमों का क्रियान्वयन हुआ था। **नियंत्रण/संवितरण अधिकारियों को आवश्यकतानुसार आवंटित निधियों की प्रयुक्ति सुनिश्चित करने की दृष्टि से संस्वीकृत आवंटन के प्रति व्यय की प्रगति पर सतत् व कड़ी नजर रखनी चाहिए। उन्हें मासिक व्यय नियंत्रण एवं अनुश्रवण तंत्र को भी विशेषतः सुदृढ़ करना चाहिए।**

## 2.3 वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन

### 2.3.1 व्यय आधिक्य

भारत के संविधान के अनुच्छेद 204(3) के अनुसार इस अनुच्छेद के उपबन्धों के अनुरूप विधि द्वारा निर्मित विनियोजन को छोड़कर राज्य की समेकित निधि से कोई भी धन आहरित नहीं किया जाएगा।

उपर्युक्त उपबन्धों के बावजूद **बजट प्रावधान की तुलना में व्यय आधिक्य 2017-18 में ₹ 386.76 करोड़ बढ़ गया जो दर्शाता है कि बजट आकलनों की समीक्षा ठीक प्रकार से नहीं की गयी थी।** विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों के ब्यौरे जहां तीन मामलों (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ अथवा अधिक) में कुल व्यय (₹ 4,122.24 करोड़) अनुमोदित प्रावधानों से ₹ 386.76 करोड़ तक अधिक हुआ, को **परिशिष्ट 2.1** में दिया गया है।

अधिक व्यय से बचने हेतु दोषी विभागों के विरुद्ध सुदृढ़ उपाय करने की आवश्यकता है। अधिक व्यय की अपरिहार्यता का कोई ठोस कारण नहीं है जबकि सरकार को वर्ष में विधायिका के तीन सत्रों के दौरान अनुपूरक अनुदान मांगें प्रस्तुत करने के अवसर प्राप्त होते हैं। बजटीय अनुदान की अधिकता खराब योजना, दूरदर्शिता के अभाव तथा अनुदानों हेतु अनुपूरक मांगों के साथ-साथ बजट आकलनों पर अप्रभावी निगरानी का परिणाम थी।

#### 2.3.1.1 प्रावधानों की तुलना में आधिक्य जिसका नियमन अपेक्षित है


भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार, राज्य सरकार के लिए अनुदान/विनियोजन की तुलना में आधिक्य को राज्य विधायिका से नियमित करवाना अनिवार्य है। यद्यपि व्यय के नियमन हेतु अनुच्छेद के अंतर्गत कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, लोक लेखा समिति द्वारा विनियोजन लेखों पर परिचर्चा पूर्ण किए जाने के उपरांत व्यय आधिक्य का नियमन किया जाता है। तथापि, 2011-12 से 2016-17 तक के वर्षों का ₹ 9,402.18 करोड़ (**परिशिष्ट 2.2**) का व्यय आधिक्य सितम्बर 2018 तक नियमित किया जाना शेष था। वर्ष 2017-18 के दौरान दो अनुदानों तथा एक विनियोजन में हुए ₹ 386.76 करोड़ (**परिशिष्ट 2.3**) के व्यय आधिक्य को भी नियमित किये जाने की आवश्यकता है।

यह विधायिका के प्रयोजन के विरुद्ध है तथा जन-धन की प्रयुक्ति के प्रति कार्यकारी अधिकारी की जबाबदेही सुनिश्चित करने के लक्ष्य को विफल करता है। लम्बी अवधि के लिए अनियमित व्यय आधिक्य पर गंभीर चिंतन की आवश्यकता है क्योंकि यह राजकोष पर संसदीय नियंत्रण को कमजोर करता है तथा इसलिए व्यय आधिक्य के सभी मौजूदा मामलों का शीघ्रताशीघ्र नियमितकरण किए जाने की आवश्यकता है।

### 2.3.1.2 अनावश्यक/अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान के परिणामस्वरूप बचत/ व्यय आधिक्य

हिमाचल प्रदेश बजट नियमावली के परिच्छेद 1.20 के अनुसार अनुपूरक अनुदान का अर्थ उस वर्ष विनियोजन अधिनियम में शामिल व्यय आधिक्य राशि को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान विनियोजन में समाविष्ट प्रावधान है।

चार्ट 2.4: अनावश्यक, अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान



स्रोत: विनियोजन लेखे।

- 19 मामलों (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ अथवा अधिक) में ₹ 1,078.35 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधान से भी कम हुआ (परिशिष्ट 2.4)।
- दो मामलों (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ अथवा अधिक) में ₹ 261.73 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुए, और कुल ₹ 381.74 करोड़ का अनावृत्त व्यय आधिक्य हुआ (परिशिष्ट 2.5)। इस अनावृत्त आधिक्य में ₹ 352.49 करोड़ (92 प्रतिशत) जिला प्रशासन द्वारा, अनुदान क्रमांक 05-भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन (राजस्व दत्तमत्त) के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि योजना (₹ 63.23 करोड़) पर तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा स्टॉक की मात्रा के आधार पर (₹ 289.26 करोड़) क्रमशः 10-लोक निर्माण कार्य सड़कें, पुल व भवन (राजस्व दत्तमत्त) पर व्यय किए गए।

इससे इंगित हुआ कि प्रशासनिक विभाग मासिक व्यय नियंत्रण तन्त्र के माध्यम से व्यय की खराब निगरानी के कारण वित्त वर्ष की शेष अवधि के लिए निधियों की वास्तविक आवश्यकता का यथार्थ निर्धारण/आकलन नहीं कर सके थे।

### 2.3.2 निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन एक अनुदान के भीतर विनियोजन की एक इकाई से जहां बचतें प्रत्याशित हैं, दूसरी इकाई को जहां अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता है, निधियों का अंतरण है। अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन अत्यधिक अथवा अपर्याप्त सिद्ध हुआ जिसके परिणामस्वरूप 20 उप-शीर्षों (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ अथवा अधिक) में बचतें/आधिक्य हुआ (परिशिष्ट 2.6)। इनमें से, नौ उप-शीर्षों में (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ अथवा अधिक) आधिक्य/बचतें हुईं।

### 2.3.3 व्यय का तीव्र प्रवाह

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 के अनुसार व्यय के तीव्र प्रवाह विशेषकर वित्तीय वर्ष के अंतिम मास में करने से बचना चाहिए।

उपरोक्त नियमों के विपरीत 51 उप-शीर्षों के सम्बन्ध (परिशिष्ट 2.7) में ₹ 2,554.99 करोड़ का व्यय, जो प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक था और वर्ष हेतु कुल व्यय का 50 प्रतिशत अथवा अधिक था, मार्च 2018 के महीने में किया गया था। लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए कुछ बिन्दुओं पर परिच्छेद 2.3.5 में चर्चा की गई है।

मुख्य शीर्ष जिनमें या तो वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही अथवा अंतिम मास के दौरान ₹ 10 करोड़ या 50 प्रतिशत से अधिक व्यय किया गया को तालिका 2.3 में दिया गया है।

तालिका 2.3: वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंत में व्यय के तीव्र प्रवाह के मामले

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	मुख्य शीर्ष (दत्तमत/प्रभारित)	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान व्यय		मार्च 2018 के दौरान व्यय	
			राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता	राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता
1.	2059- लोक निर्माण	309.62	230.76	75	190.87	62
2.	2700- प्रमुख सिंचाई	19.17	12.64	66	11.19	58
3.	2701- मध्यम सिंचाई	22.78	15.50	68	13.71	60
4.	4210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	262.86	171.18	65	153.37	58
5.	4215- आवास पर पूंजीगत परिव्यय	53.58	43.47	81	37.78	71
6.	4705- कमाण्ड क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय	32.17	31.28	97	28.31	88
योग		700.18	504.83		435.23	

स्रोत: विनियोजन लेखे/वी0एल0सी0।

वर्ष के अंत में व्यय का तीव्र प्रवाह निष्फल, नगण्य एवं दोषपूर्ण योजनाबद्ध व्यय की ओर ढकेलता है। विभाग ये सुनिश्चित करें, कि वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय के तीव्र प्रवाह से बचने के लिए जहां तक व्यवहार्य हो, पूरे वर्ष निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप निधियों का व्यय एक समान रूप से किया जाए।

### 2.3.4 आवंटन प्राथमिकताओं की तुलना में विनियोजन

विनियोजन लेखापरीक्षा के परिणाम से देखा गया कि 43 मामलों में बचतें प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक एवं 13 मामलों में बचतें कुल प्रावधान से 20 प्रतिशत से अधिक तक बढ़ गई (परिशिष्ट 2.8)। ₹ 3,843.12 करोड़ की कुल बचतों में से केवल 10 अनुदानों (प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ एवं अधिक) में ₹ 3,132.23 करोड़ (82 प्रतिशत) की पर्याप्त बचतों के कुछ मामलों तालिका 2.4 में इंगित किए गए हैं।

तालिका 2.4: ₹100 करोड़ से अधिक की बचतों वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या व नाम	प्रावधान			वास्तविक व्यय	बचतें (प्रतिशत)
		वास्तविक व्यय	अनुपूरक	कुल प्रावधान		
राजस्व दत्तमत						
1.	08- शिक्षा	5,391.90	279.58	5,671.48	5,006.46	665.02 (12)
2.	09- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,601.65	162.30	1,763.95	1,552.29	211.66(12)
3.	12-बागवानी	303.13	46.27	349.40	246.43	102.97(29)



4.	20- ग्रामीण विकास	1,293.34	31.88	1,325.22	922.29	402.93 (30)
5.	23- विद्युत विकास	499.15	2.72	501.87	370.69	131.18 (26)
6.	27- श्रम, रोजगार व प्रशिक्षण	396.24	9.29	405.53	206.26	199.27 (49)
7.	28-शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना तथा आवास	341.27	15.10	356.37	237.15	119.22 (33)
8.	29- वित्त	5,033.64	33.63	5,067.27	4,800.39	266.88 (5)
9.	31- जनजातीय विकास	1,145.98	41.51	1,187.49	945.15	242.34 (20)
10.	32- अनुसूचित जाति उप-योजना	1,264.00	34.00	1,298.00	892.17	405.83 (31)
<b>पूँजीगत दत्तमत</b>						
11.	23- विद्युत विकास	410.10	229.85	639.95	387.89	252.06 (39)
12.	32- अनुसूचित जाति उप-योजना	896.45	48.70	945.15	812.28	132.87 (14)
<b>कुल</b>		<b>18,576.85</b>	<b>934.83</b>	<b>19,511.68</b>	<b>16,379.45</b>	<b>3,132.23</b>

स्रोत: विनियोजन लेखे

लेखाओं के कुछ मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई बचतों के लिए विभाग द्वारा बताए गए कारण, जिनकी सूचना विनियोजन लेखाओं में दी गई, वे निम्न हैं:-

### शिक्षा

- प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत ₹149.40 करोड़ (प्राथमिक विद्यालय में 2202-01-101-01), ₹79.79 करोड़ (माध्यमिक विद्यालयों में 2202-01-101-03) की बचतें तथा माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत ₹102.98 करोड़ (2202-02-109-01) एवं ₹99.38 करोड़ (माध्यमिक विद्यालयों में 2202-02-109-06) की बचतें रिक्त पदों की पूर्ति न होने से, चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे की कम प्राप्तियों, वस्तुओं का कम खरीदना, छात्रवृत्ति पर कम व्यय, स्टाफ द्वारा कम दौरा करने तथा भारत सरकार केन्द्रीय अंश की कम प्राप्तियों के कारण हुई।

### स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

- ₹15.60 करोड़ की बचतें (2210-06-101-21 - रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम) एवं ₹71.94 करोड़ (2211-00-800-05 - राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रावधान) की बचतें स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार से सहायता अनुदान व निधियों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

### ग्रामीण विकास

- ₹ 34.87 करोड़ (2501-06-101-07 - ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम - स्व-रोजगार कार्यक्रम - स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना - दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना), ₹232.95 करोड़ (2505-02-101-01 - ग्रामीण रोजगार - ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम - राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम) तथा ₹40.16 करोड़ (2515-00-198-03 - अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-ग्राम पंचायत को सहायता-14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को अनुदान) की बचतें, योजना के अंतर्गत कम व्यय तथा भारत सरकार से सहायता अनुदान की कम प्राप्ति के कारण हुई।

## वित्त

- ₹ 205.38 करोड़ (2071-01-102-02 - पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभों-सिविल-पेंशन का रूपांतरित मूल्य 01-11-1996 से पेंशन) और ₹55.74 करोड़ (2071-01-117-01 - पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ-सीमित अंशदान पेंशन योजना में सरकार का अंशदान-अंशदायी पेंशन योजना) की बचतें पेंशन के रूपांतरित मामलों की कम प्राप्ति तथा न्यायिक फैसले द्वारा पुरानी योजना में ग्राहकों की वापसी के कारण हुई।

इन अनुदानों में ऐसी वृहत बचतों का मतलब है कि सरकार ने प्राप्तियों/राजस्वों के वास्तविक आकलन के बिना अधिक बजट प्रावधान किया था।

### 2.3.4.1 निरंतर बचतें

गत पांच वर्षों के दौरान, सात मामलों में निरंतर बचतें थी (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या इससे अधिक), जैसा कि तालिका 2.5 में ब्यौरा दिया गया है।

तालिका 2.5: 2013-18 के दौरान निरंतर बचतों वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या व नाम	बचत की राशि				
		2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
<b>राजस्व दत्तमत्त</b>						
1.	03- न्याय प्रशासन	16.71	4.52	12.53	9.82	10.14
2.	08- शिक्षा	342.46	385.37	1,076.22	864.96	665.02
3.	15- योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	13.44	11.61	31.40	28.40	16.81
4.	20- ग्रामीण विकास	60.04	109.86	208.74	121.61	402.93
<b>पूंजीगत-दत्तमत्त</b>						
5.	29- वित्त	4.52	5.49	5.20	1.51	7.98
6.	31- जनजातीय विकास	45.42	7.17	17.38	177.85	58.21
7.	32- अनुसूचित जाति उप-योजना	83.63	9.27	108.71	321.14	132.87

स्रोत: सम्बंधित वर्ष के विनियोजन लेखे

निरंतर बचतें दर्शाती हैं कि विभागों में बजटीय नियंत्रण प्रभावशाली नहीं था तथा चालू वर्ष के लिए निधियां आबंटित करते समय विगत वर्षों की प्रवृत्तियों को ध्यान में नहीं रखा गया था। यह पिछले राज्य प्रतिवेदन में भी इंगित किया गया था, परन्तु राज्य सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।

### 2.3.4.2 अत्यधिक अभ्यर्पण

संहिताबद्ध औपचारिकताओं की अपूर्णता, भारत सरकार से समरूप राज्यांश निधियों की कम प्राप्ति, विभिन्न योजनाओं के तहत कम व्यय, रिक्त पदों को न भरने के कारण, स्कीमों/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन न करने अथवा धीमें कार्यान्वयन इत्यादि से 161 उप-शीर्षों (परिशिष्ट 2.9) के सम्बंध में अत्यधिक मात्रा में अभ्यर्पण (मामले जहां कुल प्रावधान का 50 प्रतिशत अथवा इससे अधिक अभ्यर्पित किया गया) किये गये थे। ₹1,926.03 करोड़ राशि के कुल प्रावधान में से ₹1,539.09 करोड़ (80 प्रतिशत) अभ्यर्पित किये गये थे जिसमें 70 स्कीमों (₹ 661.87 करोड़) (परिशिष्ट 2.10) में शत-प्रतिशत अभ्यर्पण किया गया था। 70 स्कीमों में, कुछ स्कीमों के अत्यधिक अभ्यर्पण का विवरण निम्न है:

तालिका 2.5 (क): अत्यधिक अभ्यर्पण वाले अनुदानों व स्कीमों की सूची

क्रमांक	अनुदान संख्या	स्कीम का नाम	राशि (₹ करोड़ में)
1	09-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (केन्द्र प्रायोजित स्कीम)	15.60
2	12-बागवानी	बागवानी विकास परियोजना	65.81
3	15-आयोजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि स्कीम	12.48
4	20-ग्रामीण विकास	दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण योजना	34.87
5	23-विद्युत विकास	हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड सीमित को इक्विटी योगदान	32.73
6		हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम को ऋण	182.39
7	27-श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण	नये पॉलिटेक्निक की स्थापना	12.88
8	28-शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना तथा भवन	स्मार्ट सिटी मिशन	52.37
9	31-जनजातीय विकास	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	52.65
10	32-अनुसूचित जाति उप-योजना	विश्व बैंक से सहायता प्राप्त हि0प्र0 बागवानी विकास परियोजना (बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना)	25.19

इसके अतिरिक्त, 31 मार्च 2018 तक 60 मामलों (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ या इससे अधिक) में ₹ 2,558.50 करोड़ का अभ्यर्पण किया गया था (परिशिष्ट 2.11)। मार्च 2018 के अंतिम कार्य दिवस को निधियों का अभ्यर्पण अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण को इंगित करता है जो अन्य विकासशील उद्देश्यों के लिए निधियों की अप्रयुक्ति की ओर ले जाता है।

#### 2.3.4.3 अप्रत्याशित बचतें अभ्यर्पित न करना

हिमाचल प्रदेश बजट नियमावली (अध्याय 11 का परिच्छेद 11.2) के अनुसार सभी बचतें, जब भी प्रत्याशित हो, व्यय करने वाले विभाग द्वारा 15 जनवरी तक वित्त विभाग को अवश्य अभ्यर्पित की जानी चाहिए। तथापि, निम्नलिखित अनुदानों में यह पाया गया कि ₹ 903.28 करोड़ की कुल बचतों में से ₹ 217.85 करोड़ अभ्यर्पित नहीं किये थे जैसा कि तालिका 2.6 में विवरणित है।

तालिका 2.6: अभ्यर्पित नहीं किए गए ₹ एक करोड़ एवं इससे अधिक की बचत के मामले

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या एवं नाम	बचत	अभ्यर्पण	बचत जो अभ्यर्पित नहीं की गई
<b>राजस्व-दत्तमत्त</b>				
1.	09- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	211.66	202.52	9.14
2.	19- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	55.55	53.57	1.98
3.	23- विद्युत विकास	131.18	91.71	39.47
4.	31- जनजातीय विकास	242.34	215.52	26.82
<b>राजस्व-प्रभारित</b>				
5.	29- वित्त	29.20	0.95	28.25
<b>पूंजीगत- दत्तमत्त</b>				
6.	10- लोक निर्माण-सड़कें, पुल तथा भवन	42.27	0.05	42.22
7.	31- जनजातीय विकास	58.21	51.98	6.23
8.	32- अनुसूचित जाति उप-योजना	132.87	69.13	63.74
<b>योग</b>		<b>903.28</b>	<b>685.43</b>	<b>217.85</b>

बचतों की बड़ी राशि के बावजूद, मुख्य रूप से अनुदान संख्या 23- विद्युत विकास: ₹ 39.47 करोड़ (राजस्व-दत्तमत्त) तथा अनुदान संख्या 32-अनुसूचित जाति उप-योजना ₹ 63.74 करोड़ (पूँजीगत-दत्तमत्त) के अंतर्गत पर्याप्त अभ्यर्पण नहीं किये गए थे। इसके अतिरिक्त, अनुदान संख्या 29 - वित्त (राजस्व-प्रभारित) तथा 10 - लोक निर्माण कार्य - सड़कें, पुल एवं भवन (पूँजीगत-दत्तमत्त) के अंतर्गत पर्याप्त बचतों के प्रति नगण्य राशि अभ्यर्पित की गई।

**वर्ष की समाप्ति पर बड़े पैमाने पर बचतों/आधिक्यो, पुनर्विनियोजनों व अभ्यर्पणों को टालने के लिए, व्यय की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए समस्त विभागों द्वारा वास्तविक बजट प्राक्कलन प्रस्तुत करने हेतु प्रयास किया जाना चाहिए ताकि उनका अन्य क्षेत्रों/योजनाओं में प्रभावी उपयोग किया जा सके।**

### **2.3.5 बजट अनुदान के व्यपगत होने से बचने के लिए निधियों का आहरण तथा बचत बैंक खातों में रखना**

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली के नियम 2.10 हिमाचल तथा हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमावली के नियम 5.71 (ग) (5) में निर्धारित है कि किसी स्थाई अग्रिम से बाहर की गई निधियों की प्रतिपूर्ति हेतु अथवा जब तक की तत्काल संवितरण की आवश्यकता न हो, धन का कोषागार से आहरण नहीं करना चाहिए। उस कार्य के निष्पादन हेतु भी कोषागार से अग्रिम आहरण की अनुमति नहीं है, जिसके पूर्ण होने में अधिक समय लगने की संभावना है। किसी भी अप्रयुक्त शेष राशि को कोषागार में तुरंत वापस करना अपेक्षित है।

उपर्युक्त नियमों के विपरीत निम्नवत् मामले पाए गए:

#### **(i) संस्वीकृति के विरुद्ध निधियों का आहरण**

मार्च 2018 के वाउचरों की नमूना-जांच से उद्घाटित हुआ कि वास्तविक व्यय किए बिना अथवा बिना बिलों, वाउचरों या उप-वाउचरों के मात्र संस्वीकृति के आधार पर धन/निधियों (₹ 351.70 करोड़) का महत्वपूर्ण अनुपात पर कोषागार से आहरण किया गया। संस्वीकृतियां सहायक दस्तावेजों जैसे व्यय बिलों, वाउचरों या उप-वाउचरों के बिना महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय में प्राप्त की गई थी। सम्पूर्ण राशि विभिन्न बचत बैंक खातों या निक्षेप शीर्षों को हस्तांतरित की गई थी।

#### **(ii) आवश्यकता के पूर्व निधियों का आहरण**

- निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक मामलों, शिमला के अभिलेखों की नमूना-जांच से उद्घाटित हुआ (मार्च 2017) कि कल्याण भवन (ठियोग, जिला शिमला में ₹ 0.71 करोड़ हेतु) तथा मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए आवासीय संस्थान (सुन्दरनगर, जिला मण्डी में ₹ 2.25 करोड़ हेतु) के निर्माण के लिए ₹ 2.96 करोड़ आहरित किए गए थे। ₹ 0.71 करोड़ निष्पादन अभिकरण (लोक निर्माण विभाग, ठियोग मण्डल) को हस्तांतरित किए तथा ₹ 2.25 करोड़ आंध्रा बैंक, न्यू शिमला के बचत बैंक खाते में जमा किए थे। विभाग के नाम

पर भूमि स्थानांतरित न होने तथा भूमि एवं अभिकल्पों/प्राक्कलनों को अंतिम रूप न देने के कारण सम्पूर्ण राशि मार्च 2018 तक अप्रयुक्त पड़ी रही। निदेशक ने तथ्यों को स्वीकार किया।

- इसी प्रकार, निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिमला ने कम्प्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस सिस्टम, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर व छायाप्रति मशीन की खरीद हेतु ₹ 1.48 करोड़ का आहरण (मार्च 2017) किया तथा सम्पूर्ण राशि स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शिमला (पूर्व) में खोले गए बचत बैंक खाते में जमा की। ₹ 1.48 करोड़ की सम्पूर्ण राशि 10 माह से अधिक की अवधि बीत जाने के बाद भी फरवरी 2018 तक विभाग द्वारा खरीद प्रक्रिया शुरू न करने के कारण बैंक में अप्रयुक्त पड़ी रही। निदेशक ने तथ्यों को स्वीकार किया।

### (iii) बजट अनुदान को व्यपगत से बचाने के लिए निधियों का आहरण

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य तथा लोक निर्माण विभाग के नौ<sup>19</sup> मण्डलों के अधिशाषी अभियंताओं ने 82 निर्माण कार्यों<sup>20</sup> के निष्पादन हेतु ₹ 37.95 करोड़ का आहरण (मार्च 2016, मार्च 2017 व दिसम्बर 2017) किया तथा इनके नियंत्रण के उप-मण्डलों (सिंचाई एवं लोक स्वास्थ्य तथा लोक निर्माण) एवं अन्य मण्डलों<sup>21</sup> को राशि एक साथ हस्तांतरित कर दी। वित्तीय वर्ष 2017-18 में, सितम्बर 2017 व दिसम्बर 2017 में ₹ 6.80 करोड़ की राशि प्रभागों (लोक निर्माण) से पुनः प्राप्त की गई तथा निक्षेप शीर्ष के अंतर्गत रखी गई। इसके अतिरिक्त, धर्मशाला मण्डल को कांगड़ा मण्डल द्वारा (मार्च 2017) ₹ 1.21 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया जो कि मार्च 2018 तक धर्मशाला मण्डल में पड़ा रहा। उप-मण्डलों (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य तथा लोक निर्माण) ने भी ₹ 29.94 करोड़ की राशि निक्षेप शीर्ष के अंतर्गत रखी (मार्च 2016 - मार्च 2018)।

आगे यह पाया गया कि सम्बन्धित अधिशाषी अभियंताओं ने सम्पूर्ण राशि का उपयोग नहीं किया तथा कुल ₹ 31.05 करोड़ की<sup>22</sup> निधियाँ उनके पास निक्षेप शीर्ष के अंतर्गत अप्रयुक्त पड़ी रही (दिसम्बर 2017 व फरवरी-मार्च 2018)। बजट अनुदान के व्यपगत होने से बचने के लिए वित्तीय वर्ष के अंत तक

<sup>19</sup> जुबल: ₹ 6.50 करोड़; रोहडू (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य): ₹ 7.44 करोड़ और बडसर: ₹ 2.65 करोड़; चम्बा: ₹ 4.29 करोड़; जोगिन्द्र नगर: ₹ 3.00 करोड़; कांगड़ा: ₹ 3.03 करोड़, नम्बर-II मण्डी: ₹ 2.45 करोड़, पांवटा साहिब: ₹ 1.79 करोड़ और ऊना: ₹ 6.80 करोड़।

<sup>20</sup> एल.आई.एस, एफ.आई.एस, एल.डब्ल्यू.एस.एस. का निर्माण वृद्धि और बाढ़ सुरक्षा कार्य 14 (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य) तथा केयर/ओफ सड़क/लोक सड़क 18; केयर/ओफ कार्यालय/ सर्किट हाऊस/ रेस्ट हाऊस/ प्रशिक्षण केन्द्र/ भवन/ आवास/ पार्किंग (आठ); विशेष मरम्मत/ छत की वार्षिक मरम्मत/ वार्षिक मरम्मत और अनुरक्षण / बेहतरी / सड़कों का उन्नयन (तीन) तथा विभिन्न विकास कार्य (24) (लोक निर्माण)।

<sup>21</sup> सरस्वती नगर (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य): ₹ 0.64 करोड़; नम्बर-I जुबल (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य): ₹ 5.86 करोड़; रोहडू (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य): ₹ 7.44 करोड़; धनेटा (लोक निर्माण): ₹ 2.65 करोड़; नम्बर-I चम्बा (लोक निर्माण): ₹ 0.30 करोड़; नम्बर- II चम्बा (लोक निर्माण): ₹ 3.99 करोड़; जोगिन्द्र नगर (लोक निर्माण): ₹ 3.00 करोड़; धर्मशाला (लोक निर्माण): ₹ 1.20 करोड़; कांगड़ा (लोक निर्माण): ₹ 1.38 करोड़; शाहपुर (लोक निर्माण): ₹ 0.45 करोड़; नम्बर -III मण्डी (लोक निर्माण): ₹ 2.45 करोड़; नम्बर- I पांवटा साहिब (लोक निर्माण): ₹ 1.79 करोड़; बंगाणा (लोक निर्माण): ₹ 3.90 करोड़ और भरवाई (लोक निर्माण): ₹ 2.90 करोड़।

<sup>22</sup> जुबल: ₹ 6.42 करोड़; रोहडू (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य): ₹ 7.44 करोड़; बडसर: ₹ 2.65 करोड़; चम्बा: ₹ 4.29 करोड़; जोगिन्द्र नगर: ₹ 3.00 करोड़; कांगड़ा: ₹ 1.21 करोड़; नम्बर- II मण्डी: ₹ 2.35 करोड़; पांवटा साहिब: ₹ 1.79 करोड़ और ऊना (लोक निर्माण): ₹ 1.90 करोड़।

अधिशाषी अभियंताओं ने निधियों का आहरण किया था। अधिशाषी अभियंताओं ने तथ्यों को स्वीकार किया (जनवरी 2018-अप्रैल 2018)।

अतः ₹ 387.18 करोड़ का उपयोग न करने तथा इसे विभिन्न बैंक खातों में रखने के कारण राज्य को ब्याज ₹ 17.07 करोड़<sup>23</sup> की हानि हुई।

प्रारम्भिक एवं अंतिम बैठक के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) ने स्वीकार किया कि वित्त विभाग के पास अग्रिम रूप से आहरण की आकस्मिक प्रवृत्ति के व्यय की निगरानी हेतु कोई तंत्र नहीं है, तथा समस्त निधियां विभिन्न आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा बचत बैंक खातों में रखी गई है। अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) ने आश्वासन दिया कि मामले की समीक्षा की जाएगी। यह भी स्वीकार किया गया कि धन के आहरण के लिए संस्वीकृतियों का उपयोग करने तथा इन्हें बैंक खातों में जमा करने के बजाय आकस्मिक प्रवृत्ति के हुए व्यय के लिए सभी बिलों का परिचालन उपयोगी होगा क्योंकि इसमें सभी सार आकस्मिक बिलों एवं लम्बित विस्तृत आकस्मिक बिलों की स्थिति की समीक्षा/निगरानी हेतु सुदृढ़ प्रक्रिया है। लेखापरीक्षा टिप्पणी की प्रतिक्रिया पर वित्त विभाग ने बताया कि राज्य सरकार ने सार आकस्मिक बिलों के परिचालन हेतु छः विभागों<sup>24</sup> को चिह्नित किया।

लेखापरीक्षा का विचार है कि आवश्यकता के पूर्व निधियों का आहरण तथा बचत बैंक खातों में बड़ी राशियों को रखने का अर्थ न सिर्फ वास्तविक रूप से बिना हुए ऐसे व्यय के बुक होने से है बल्कि इन बचत बैंक खातों में रखी निधियों पर उपार्जित ब्याज के लेखांकित न होने से भी है। इसके अतिरिक्त, यह राज्य सरकार के निस्तारण पर उसकी नकदी को घटा रहा था, जबकि दूसरी ओर राज्य सरकार बाजार ऋण ले रही थी एवं उच्च दरों पर ब्याज चुका रही थी। अतः उपर्युक्त चलन से कार्यकारी अधिकारी द्वारा विधानसभा में न केवल गलत वित्तीय सूचना बनाई गई बल्कि यह वित्तीय रूप से अविवेकपूर्ण भी है।

#### 2.4 व्यक्तिगत निक्षेप लेखों का परिचालन

व्यक्तिगत निक्षेप लेखा समेकित निधि के डेबिट द्वारा सृजित किये जाते हैं और उसे समेकित निधि में सम्बद्ध सेवा शीर्षों में शेष को ऋणात्मक डेबिट द्वारा वित्तीय वर्ष के अन्त में बन्द किया जाना चाहिए। कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हिमाचल प्रदेश से प्राप्त सूचना से देखा गया कि 15 जिला कोषागारों में 112 व्यक्तिगत निक्षेप लेखे परिचालन में थे। 31 मार्च 2018 तक (परिशिष्ट 2.12) इन 112 लेखों में पड़ी ₹ 3.37 करोड़ शेष की स्थिति निम्नवत् है:

- वर्ष के दौरान ₹ 3.10 करोड़ के शेष से युक्त 80 व्यक्तिगत निक्षेप लेखे परिचालन में थे।
- ₹ 0.27 करोड़ की राशि से अंतर्ग्रस्त दो व्यक्तिगत निक्षेप लेखे 2010-11 से परिचालन में नहीं थे।
- 30 व्यक्तिगत निक्षेप लेखों में शून्य शेष था।

<sup>23</sup> गणना: उधारों पर ब्याज की औसत दर; 8.41%- बचतों पर ब्याज की औसत दर: 4% = अंतर: 4.41%, इसलिए हानि ₹ 387.18 करोड़ X 4.41% = ₹ 17.07 करोड़)

<sup>24</sup> युवा सेवाएं एवं खेल, आयुर्वेद, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, अभियोग, कृषि एवं बागवानी।

व्यक्तिगत निक्षेप लेखों के समय-समय पर शेष राशि का आवधिक/मिलान न होने तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक व्यक्तिगत निक्षेप लेखे में पड़ी अप्रयुक्त शेष राशि का समेकित निधि में गैर-हस्तांतरण, लोक निधियों के दुरुूपयोग व धोखा-धड़ी के जोखिम को बढ़ाता है।

## 2.5 प्राप्ति एवं व्यय का मिलान

मुख्य नियंत्रक अधिकारियों/नियंत्रक अधिकारियों को महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा लेखाबद्ध आंकड़ों के साथ सरकार की प्राप्तियों एवं व्ययों के आंकड़ों का मिलान करना अपेक्षित है। इस तरह का मिलान सभी मुख्य नियंत्रक अधिकारियों/नियंत्रक अधिकारियों द्वारा प्राप्तियों एवं व्यय दोनों के लिए पूरा किया गया।

## 2.6 व्यय का गलत वर्गीकरण

वर्ष 2017-18 के लिए वित्त तथा विनियोजन लेखाओं की जांच के दौरान व्यय के गलत वर्गीकरण के निम्नवत् मामले ध्यान में आए:

### 2.6.1 बजट वर्गीकरण

वित्त मंत्रालय भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ 01(47)-ई0 II (ए0)/94 दिनांक 12.12.1994 में ऑब्जेक्ट शीर्ष के वर्गीकरण का मानकीकरण प्रावधान है कि राजस्व व्यय मुख्य शीर्षों के सम्बंध में बजट प्रावधान को पूंजीगत व्यय मुख्य शीर्षों व इसके विपरीत, निर्धारित वस्तु शीर्षों के अंतर्गत नहीं किया जा सकता है।

यह देखा गया कि एस0ओ0ई0-31 के ₹ 53.41 करोड़ का व्यय, राजस्व शीर्ष के अंतर्गत डाला गया जिसे कि पूंजीगत शीर्ष के अंतर्गत डाला जाना चाहिए था। मशीन तथा उपकरण (एस0ओ0ई0-31) में केवल कार्यालय को सुचारू रूप से चलाने हेतु आवश्यक वस्तुएं, विशेष साधन तथा निश्चित प्रयोजनों के लिए संयंत्रों से पृथक मशीन, उपकरण व संयंत्र खरीदी जाने वाली वस्तुएं ही शामिल है, जो की राजस्व व्यय से भिन्न है।

### 2.6.2 पूंजीगत व्यय शीर्ष के अंतर्गत 'सहायता अनुदानों' का वर्गीकरण

सहायता अनुदानों के संवितरण का बजट प्रावधान पूंजीगत व्यय शीर्ष के अंतर्गत करना, भारत सरकार द्वारा मई 2011 में जारी भारत सरकार मानक लेखा-2 में प्रदान किए गए नियम के विरुद्ध है।

यह देखा गया कि सहायता अनुदान (अनुदान संख्या 31-जनजाति विकास) का संवितरण राज्य सरकार द्वारा राजस्व शीर्ष के बजाय पूंजीगत शीर्ष से किया गया तथा निम्न अवस्थाएं देखी गईं:

- (i) 4225-02-796-01 - 00-42 -- ₹ 49 लाख
- (ii) 5055-00-796-05 - 44-31 -- ₹ 36 लाख

### 2.6.3 बहुप्रयोजन लघु शीर्ष-800 का संचालन

सरकार के व्यय को समेकित निधि के अंतर्गत विभिन्न कार्यात्मक शीर्षों के तहत राजस्व तथा पूंजीगत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। उप मुख्य शीर्ष व लघु शीर्ष, उप-कार्यों/कार्यक्रमों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो प्रमुख शीर्ष के नीचे खुलते हैं। जब किसी वस्तु विशेष पर हुए व्यय/प्राप्ति को किसी भी मौजूदा

लघु शीर्ष में समायोजित नहीं किया जा सकता तब लघु शीर्ष-800, जो एक बहुप्रयोजन शीर्ष है लेखाओं में खोला जाता है। यह व्यय की वास्तविक प्रकृति को नहीं दर्शाता है, जिससे किसी योजना विशेष के व्यय के वास्तविक नामकरण को जानने से विधायिका बच जाती है, जो इस शीर्ष के अंतर्गत बुक की जा रही है और योजना का उद्देश्य भी पराजित हो जाता है। कुछ अग्रणी योजनाओं के व्यय भी इस 'लघु शीर्ष-800-अन्य व्यय' के अंतर्गत बुक किए जा रहे हैं। चूंकि लघु शीर्ष-800, लेखाओं को अपारदर्शी बनाता है और वित्तीय प्रतिवेदनों की सही एवं निष्पक्ष तस्वीर को प्रभावित करता है साथ ही जानकारीपरक निर्णय लेने में लेखाओं की पारदर्शिता को अस्पष्ट करता है, अतः इसका नियमित संचालन बंद किया जाना चाहिए।

2017-18 हेतु वित्त एवं विनियोजन लेखाओं की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि:

- कुल ₹ 1,315 करोड़ (कुल राजस्व प्राप्तियों का 4.81 प्रतिशत) की राजस्व प्राप्तियां, बहुप्रयोजन लघु शीर्ष-800-अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत 48 मुख्य शीर्षों के तहत वर्गीकृत की गई थी। लघु शीर्ष-800-अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत हुई अत्यधिक अनुपात ( 50 प्रतिशत या अधिक ) वाली प्राप्तियों के उदाहरण परिशिष्ट 2.13 ( क ) में दिए गए हैं।
- 2017-18 के दौरान ₹ 961 करोड़ के सकल व्यय ने कुल व्यय का ( राजस्व तथा पूंजीगत ) का 3.12 प्रतिशत बनाया जिसे लघु शीर्ष-800-अन्य व्यय के अंतर्गत 45 राजस्व तथा पूंजीगत मुख्य शीर्षों के तहत वर्गीकृत किया गया, जिसका विवरण परिशिष्ट 2.13 ( ख ) में दिया गया है।
- सिंचाई, शिक्षा एवं स्वास्थ्य में सुधार हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं के लिए ₹ 77.47 करोड़ की अनुदान राशि, लघु शीर्ष-800 के अंतर्गत बुक की गई, जिसके उदाहरण परिशिष्ट 2.13 ( ग ) में दिए गए हैं।

आरम्भिक सम्मेलन में उपर्युक्त विसंगतियों पर अतिरिक्त मुख्य सचिव ( वित्त ) के साथ चर्चा की गई ( अगस्त 2018 )। राज्य सरकार ने तथ्य स्वीकार किए ( अक्टूबर 2018 ) तथा लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय/अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत बुक करने की विद्यमान कवायद बंद करने और व्यय को पहले से मौजूद उपयुक्त लघु शीर्षों के तहत बुक करने अथवा उपयुक्त लघु शीर्षों के अंतर्गत नए उप-शीर्षों को खोलने का आश्वासन दिया।

## 2.7 चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम

दो नमूना जांचित अनुदानों, अनुदान संख्या 8<sup>25</sup>-“शिक्षा” तथा अनुदान संख्या 12<sup>26</sup>-बागवानी से सम्बंधित बजट प्रक्रिया एवं व्यय पर नियंत्रण ( जुलाई-सितम्बर 2018 ) तथा समीक्षा के दौरान पाए गए बिंदुओं का विवरण निम्न है:

<sup>25</sup> प्रमुख शीर्षों सहित 2202-सामान्य शिक्षा, 2205-कला एवं संस्कृति, 2225-अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक कल्याण, 2235-सामाजिक सुरक्षा एवं राजस्व विभाग के अंतर्गत कल्याण, 4202- शिक्षा, खेल कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय और 6202-पूंजीगत विभाग में शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति हेतु ऋण सहित।

<sup>26</sup> 2059-लोक कार्य, 2216-आवास, 2401-फसल कृषि व्यवस्था, 2415-कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा, 4401-फसल कृषि-व्यवस्था पर पूंजीगत परिव्यय, 4402-मृदा एवं जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय, और 6401-फसल कृषि-व्यवस्था पर पूंजीगत परिव्यय।



## 2.7.1 अनुदान संख्या 8-'शिक्षा'

### 2.7.1.1 बजट एवं व्यय

2017-18 के दौरान अनुदान के अंतर्गत निधियों के आबंटन एवं किए गए व्यय की समग्र स्थिति तालिका 2.7 में दी गई है:

तालिका 2.7: 2017-18 के दौरान आबंटित निधियों एवं व्यय का प्रावधान

(₹ करोड़ में)

प्रभाग	कुल अनुदान	किया गया व्यय	आधिव्य(+)/बचत(-)
राजस्व प्रभाग	5,671.48	5,006.46	(-)665.02
पूंजी प्रभाग	155.86	155.86	(-)0.00 <sup>27</sup>
योग	5,827.34	5,162.32	(-)665.02

स्रोत: विनियोजन लेखे।

उपर्युक्त तालिका से यह देखा गया है, कि वर्ष 2017-18 के दौरान अनुदान के अंतर्गत (राजस्व प्रभाग ₹ 5,671.48 करोड़ एवं पूंजीगत प्रभाग ₹ 155.86 करोड़) ₹ 5,827.34 करोड़ के बजट प्रावधान के प्रति ₹ 5,162.32 करोड़ (राजस्व प्रभाग ₹ 5,006.46 करोड़ एवं पूंजीगत प्रभाग: ₹ 155.86 करोड़) का व्यय हुआ। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 665.02 करोड़ की बचत हुई, जो यह दर्शाता है कि बजट प्रावकलन वास्तविक आधार पर नहीं बनाए गए थे।

### 2.7.1.2 अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान

हिमाचल प्रदेश बजट नियमावली के परिच्छेद 1.20 के अनुसार अनुपूरक अनुदान से तात्पर्य है कि उस वर्ष के विनियोजन अधिनियम में पूर्व में सम्मिलित व्यय की अधिक राशि को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान विनियोजन में शामिल एक प्रावधान से है।

अभिलेखों की नमूना-जांच से निम्नलिखित उद्घाटित हुआ:

(i) राजस्व प्रभाग के अंतर्गत, ₹ 5,671.48 करोड़ के कुल प्रावधान (मूल: ₹ 5,391.90 करोड़+ अनुपूरक ₹ 279.58 करोड़) के प्रति, योजनागत तथा योजनेत्तर में ₹ 5,006.46 करोड़ का व्यय हुआ। चूंकि यह व्यय, मूल प्रावधान ₹ 5,391.90 करोड़ के स्तर तक नहीं पहुंच पाया अतः ₹ 279.58 करोड़ का प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 2017-18 के दौरान, मुख्य शीर्ष 2202-सामान्य शिक्षा के चार उप-शीर्षों (योजनेत्तर) के अंतर्गत, ₹ 3.25 करोड़ की अनुपूरक मांग, ₹ 2,261.67 करोड़ के व्यय का, ₹ 2,489.36 करोड़ के मूल प्रावधान के स्तर तक न पहुंच पाने से अनावश्यक सिद्ध हुआ परिणामस्वरूप अंततः ₹ 230.94 करोड़ की बचत हुई जिसका विवरण नीचे तालिका 2.7 (क) में दिया गया है:

<sup>27</sup> वास्तविक आंकड़ा ₹ (-) 2,000/- मात्र है।

तालिका 2.7 (क): अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

क्रमांक	उप-शीर्ष (योजनेत्तर)	कुल बजट प्रावधान			व्यय	आधिक्य (+)/ कुल प्रावधान पर बचत (-)
		मूल	अनुपूरक	कुल		
1.	2202-01-101-01	1,460.78	1.01	1,461.79	1312.39	(-)149.40
2.	2202-01-101-03	1,007.99	1.41	1,009.40	929.61	(-)79.79
3.	2202-01-104-01	16.34	0.29	16.63	15.71	(-)0.92
4.	2205-00-105-01	4.25	0.54	4.79	3.96	(-)0.83
	<b>कुल</b>	<b>2,489.36</b>	<b>3.25</b>	<b>2,492.61</b>	<b>2,261.67</b>	<b>(-)230.94</b>

अतः अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान कमजोर वित्तीय प्रबंधन का परिचायक है।

(iii) निदेशक प्राथमिक शिक्षा के आधिक्य एवं अभ्यर्षण विवरण के अनुसार, अनुपूरक प्रावधान ₹ 28.73 करोड़ (योजना: ₹ 23.85 करोड़ (राजस्व + पूंजीगत) + आयोजनेत्तर ₹ 4.88 करोड़ (राजस्व)) थे। इन प्रावधानों में से ₹ 2.70 करोड़<sup>28</sup> लघु/उप-शीर्षों के अंतर्गत अनुपूरक अनुदान के रूप में दिए गए जबकि व्यय, मूल प्रावधान के स्तर तक नहीं पहुंच सका। पांच लघु/उप शीर्षों के 16 राज्य व्यय विवरण के अंतर्गत ₹ 1.26 करोड़<sup>29</sup> के अनुपूरक प्रावधान मूल प्रावधान के स्तर तक नहीं पहुंचे। अतः वर्ष 2017-18 के दौरान मूल प्रावधान के स्तर तक व्यय के न पहुंच पाने से ₹ 2.70 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक था।

अतः अनुदान, मुख्य शीर्ष एवं उप शीर्ष के अन्तर्गत अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक थे जिससे व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक नहीं पहुंचा इसके अतिरिक्त 2017-18 के दौरान इन शीर्षों में बचतें हुईं।

### 2.7.1.3 तत्काल आवश्यकता के बिना निधियों का आहरण

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली के नियम 2.10 (ख) में नियत है कि तत्काल उपयोग की आवश्यकता के बिना राजकोष से धन नहीं निकाला जा सकता।

अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान तथा निदेशक उच्चतर शिक्षा द्वारा आपूरित सूचना के अनुसार, यह देखा गया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत ₹ 35.24 करोड़ की राशि राजकोष में निकाली गई। जिसमें से वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंत तक ₹ 4.35 करोड़ खर्च किए गए तथा 01-04-2018 से 31-07-2018 के मध्य ₹ 7.60 करोड़ खर्च किए गए व आहरित निधियों में से ₹ 23.29 करोड़ के बचे हुए अव्ययित शेष को तालिका 2.8 में दिया गया है:

<sup>28</sup> लेखा के शीर्ष: (i) 2202-01-101-01 (₹ 1.00 करोड़), (ii) 2202-01-101-03 (₹ 1.41 करोड़) तथा (iii) 2202-01-104-01 (₹ 0.29 करोड़)

<sup>29</sup> लेखा के शीर्ष: (i) 2202-01-001-01 (03-यात्रा व्यय: ₹ 0.4 लाख), (ii) 2202-01-101-01 (03- यात्रा व्यय: ₹ 25.00 लाख; 06-चिकित्सा प्रतिपूर्ति: ₹ 25.00 लाख तथा 64-स्थानांतरण यात्रा व्यय: 0.5 लाख), (iii) 2202-01-101-03 सू (03- यात्रा व्यय: ₹ 8.00 लाख; 05-अन्य व्यय: ₹ 15.00 लाख, 06-चिकित्सा प्रतिपूर्ति: ₹ 15.00 लाख, आर.आर.टी.: ₹ 2.08 लाख तथा 64- स्थानांतरण यात्रा व्यय: ₹ 1.00 लाख) (iv) 2202-01-104-01 (02-मजदूरी: ₹ 1.70 लाख; 05-अन्य व्यय: ₹ 8.00 लाख, 06- चिकित्सा प्रतिपूर्ति: ₹ 2.50 लाख) एवं (v) 2202-01-104-02 (02-मजदूरी: ₹ 12.00 लाख; 03-यात्रा व्यय: ₹ 6.00 लाख, 07-आर.आर.टी.: ₹ 2.99 लाख तथा 64- स्थानांतरण यात्रा व्यय: ₹ 0.5 लाख)

तालिका 2.8: तत्काल आवश्यकता के बिना निधियों का आहरण

( ₹ करोड़ में )

बैंक खाता संख्या	लेखा का शीर्ष	आहरित निधियां	31/03/2018 तक व्यय	1/04/18 से 31/07/18 के मध्य हुआ व्यय
20224, एस.बी.आई., दि मॉल, शिमला	2202-80-107-08 एन.पी. पोस्ट मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग (पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति के पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (अन्य पिछड़ा वर्ग) खाते में स्थानांतरण की संभावना) ब्याज	13.05	0	0
20586, एस.बी.आई., दि मॉल, शिमला	2202-80-107-08 अन्य पिछड़ा वर्ग एन.पी. पोस्ट मैट्रिक	3.59	0	0
10587, यूको बैंक, राम बाजार, शिमला	2202-80-107-18-कल्पना चावला एन.पी.	2.21	0	1.04
	2202-03-103-01-इन्दिरा गांधी (एन.पी.)	0.01	0	0.01
4178, एस.बी.आई., दि मॉल, शिमला	2202-02-109-01- एन.पी. डॉ. अम्बेडकर मेधावी (अन्य पिछड़ा वर्ग)	1.80	0	1.70
	एस.बी.यू.सी.वाई (पी./एन.पी.)	3.40	0	1.65
	आई.आर.डी.पी. एन.पी.	2.00	0	2.39
	2202-80-107-08- अन्य पिछड़ा वर्ग एन.पी. पोस्ट मैट्रिक	4.78	4.32	0
	2202-80-107-20- डॉ. अम्बेडकर पी.एम.एस. ई.वी.सी.	0.59	0	0
	2202-02-109-01 एन.पी. आई.आर.डी.पी.			
	2202-02-109-01- एन.पी. आर.आई.एम.सी.	0.02	0	0
	2202-80-800-08 एन.पी. सैनिक स्कूल	0.37	0	0
20712, एस.बी.आई., दि मॉल, शिमला	2202-80-107-20- डॉ. अम्बेडकर पी.एम.एस. ई.वी.सी. ब्याज	3.42	0.03	0.81
	<b>योग</b>	<b>35.24</b>	<b>4.35</b>	<b>7.60</b>

अतिरिक्त निदेशक, उच्चतर शिक्षा ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए बताया कि संस्थानों द्वारा दस्तावेजों को ऑनलाईन जमा करने की प्रक्रिया चल रही है तथा छात्रवृत्ति शीघ्र ही निस्तारित कर दी जाएगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निधियों को बिना आवश्यकता के आहरित किया गया।

#### 2.7.1.4 अवास्तविक आकलन के कारण बजट प्रावधानों पर अभ्यर्पण

निदेशक उच्चतर शिक्षा के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान यह देखा गया कि योजनागत व आयोजनेत्तर के तहत तीन मुख्य शीर्षों, जिसमें 30 लघु/उप शीर्ष थे, उनमें वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 262.35 करोड़ (योजनागत ₹ 242.55 करोड़ + आयोजनेत्तर ₹ 19.80 करोड़) के बजट प्रावधान किए गए। तथापि, इस वर्ष के दौरान, जैसा कि **परिशिष्ट 2.15** के विवरण में दिया गया इसमें से ₹ 60.20 करोड़ का व्यय (योजनागत ₹ 52.80 करोड़ + आयोजनेत्तर ₹ 7.40 करोड़) हुआ। लघु/उप शीर्ष के अंतर्गत बजट में व्यय की प्रतिशतता शून्य से 58 प्रतिशत के बीच रही। 22 मामलों में कोई व्यय न होने के परिणामस्वरूप संस्वीकृत बजट का 100 प्रतिशत अभ्यर्पित हुआ। अतः **अवास्तविक बजट आंकलन बनाने के परिणामस्वरूप वर्ष की समाप्ति पर अप्रयुक्त तथा अभ्यर्पण हुआ। यह अप्रभावी निगरानी तथा व्यय पर कमजोर नियंत्रण का परिचायक है।**

### 2.7.1.5 प्रावधान रहित व्यय

हिमाचल प्रदेश बजट नियमावली के परिच्छेद 1.19 में नियत है कि विनियोजन अधिनियम के माध्यम से अनुच्छेद 204, के प्रावधान के अनुरूप विधि द्वारा निर्मित विनियोगों को छोड़कर राज्य की समेकित निधि से कोई भी धन आहरित नहीं किया जाएगा।

वित्त विभाग के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान यह देखा गया कि वर्ष 2017-18 के दौरान शीर्ष 2202-80-107-08 के अंतर्गत न तो कोई मूल न ही कोई अनुपूरक प्रावधान था परन्तु ₹ 6.16 करोड़ का पुनर्विनियोजन किया गया था। अतः पुनर्विनियोजन, पूर्वोक्त प्रावधान का उल्लंघन था। पुनर्विनियोजन आदेशों के अनुसार इस भिन्नता का कारण पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रों का अधिक आवेदन था, जोकि स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इस शीर्ष के अंतर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। **इसके अतिरिक्त, निधियां आहरित की गईं तथा जुलाई 2018 तक बैंक खाते में अप्रयुक्त पड़ी रही।**

### 2.7.1.6 बंद स्कीम हेतु अनुचित प्रावधान

आयोजनागत स्कीमों की नमूना-जांच के दौरान यह देखा गया कि लेखा शीर्ष 2202-80-107-15, छात्रवृत्ति, वृत्ति एवं रियायत के अंतर्गत वर्ष 2017-18 हेतु प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना में ₹ एक करोड़ का मूल बजट प्रावधान किया गया।

निदेशक उच्चतर शिक्षा द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2017-18 हेतु प्रस्तावित परिव्यय के अनुसार लेखा शीर्ष के अंतर्गत किसी प्रावधान का कोई प्रस्ताव नहीं था। तथापि, आधिक्य एवं अभ्यर्पण/विनियोजन लेखाओं के अनुसार स्कीम में ₹ एक करोड़ का प्रावधान था व प्रदत्त सम्पूर्ण राशि की बचत हुई। स्कीम 18/11/2013 में वापस ले ली गई तथा बंद स्कीम पर वर्ष 2017-18 हेतु प्रावधान अनुचित था। संयुक्त नियंत्रक (वित्त एवं लेखा), निदेशक उच्चतर शिक्षा ने तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि करते हुए बताया कि विभाग ने किसी प्रावधान हेतु कोई मांग नहीं की थी और यह सरकार द्वारा स्वयं दिया गया।

### 2.7.1.7 अपेक्षित अनुपात का अनुरक्षण न होने के फलस्वरूप सर्व-शिक्षा अभियान में समरूप राज्यांश का कम व्यय

वित्त विभाग में अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान यह देखा गया कि सर्व शिक्षा अभियान में शीर्ष - 2202-01-111-01-सहायता अनुदान के अंतर्गत ₹ 263.24 करोड़ (90 प्रतिशत के रूप में ₹ 236.92 करोड़ का केन्द्रीय अंश तथा 10 प्रतिशत के रूप में ₹ 26.32 करोड़ का राज्य अंश) का कुल प्रावधान किया गया था। इस प्रावधान में से केन्द्रीय अंश में ₹ 36.28 करोड़ व राज्य अंश में ₹ 24.10 करोड़ के पुनर्विनियोजन के पश्चात् अंतिम अंश क्रमशः ₹ 200.64 करोड़ व ₹ 2.22 करोड़ शेष रहे, जोकि अपेक्षित अनुपात में नहीं थे, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 20.07 करोड़ का राज्यांश कम निस्तारित/व्यय हुआ।

### 2.7.1.8 बजटीय विवरण को प्रस्तुत करने में विलम्ब

हिमाचल प्रदेश बजट नियमावली के अनुसार विभागाध्यक्ष से, बजट प्राक्कलन, आधिक्य एवं अभ्यर्पण विवरणी, आधिक्य एवं अभ्यर्पण की अंतिम विवरणी क्रमशः 25 अक्टूबर, 01 दिसम्बर व 31 मार्च को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। तथापि, यह देखा गया कि निदेशक, उच्चतर शिक्षा एवं निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा वर्ष 2017-18 हेतु बजट प्राक्कलन, आधिक्य एवं अभ्यर्पण विवरणी तथा आधिक्य एवं अभ्यर्पण की अंतिम विवरणी, 25 तथा 88 दिनों के मध्य की देरी से प्रस्तुत की गई, जिसका विवरण तालिका 2.9 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.9: वित्त विभाग को बजटीय विवरण प्रस्तुत करने का विवरण

क्रमांक	विवरण	विभाग	देय तिथि	प्रस्तुत करने की वास्तविक तिथि *	प्रस्तुत करने में विलम्ब
1	बजट प्राक्कलन	निदेशक, उच्चतर शिक्षा	25 अक्टूबर 2016	21 जनवरी 2017	88
		निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा	25 अक्टूबर 2016	19 नवम्बर 2016	25
2	आधिक्य एवं अभ्यर्पण विवरणी	निदेशक, उच्चतर शिक्षा	01 दिसम्बर 2017	05 जनवरी 2018	35
		निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा	01 दिसम्बर 2017	22 फरवरी 2018	83
3	आधिक्य एवं अभ्यर्पण की अंतिम विवरणी	निदेशक, उच्चतर शिक्षा	31 मार्च 2018	10 मई 2018	40
		निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा	31 मार्च 2018	22 मई 2018	52

\* वित्त विभाग में प्रस्तुतीकरण की वास्तविक तिथि

यह दर्शाता है कि विभाग ने बजट प्राक्कलन तथा बजटीय विवरण प्रस्तुत करने की समय-सीमा का पालन नहीं किया था। संयुक्त नियंत्रक (वित्त एवं लेखा), निदेशक, उच्चतर शिक्षा ने बताया कि भविष्य में विवरणों को समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाएगा।

#### 2.7.1.9 अवास्तविक बजट प्राक्कलन/प्रावधान

हिमाचल प्रदेश बजट नियमावली के परिच्छेद 5.3 में नियत है कि प्राक्कलन पूर्ण एवं शुद्ध होने चाहिए। सभी प्राक्कलन बनाने वाले अधिकारियों को पता होना चाहिए कि आकलन में जितने परिहार्य अतिरिक्त प्रावधान होंगे, स्वीकृत व्यय में उतनी ही अधिक वित्तीय अनियमितताएं होंगी, जिसके परिणाम गंभीर होंगे तथा जिस भी अधिकारी की गलती पाई जाएगी उसे व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

वित्त विभाग के अभिलेखों की नमूना जांचों के दौरान यह देखा गया कि निदेशक, उच्चतर शिक्षा, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा कार्यालय द्वारा प्रस्तुत बजट प्राक्कलन की स्थिति तथा वर्ष 2017-18 हेतु वित्त विभाग द्वारा दिए बजट प्राक्कलन का विवरण तालिका 2.10 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.10: बजट प्राक्कलन की स्थिति

( ₹ करोड़ में )

मुख्य शीर्ष	विभागीय प्राक्कलन	वित्त विभाग द्वारा प्रावधान	आधिक्य/ कम प्रावधान	वास्तविक व्यय	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन
2202-02-001-01 आयोजनेतर	14.60	15.47	0.87	15.14	0.32	(-) 0.65
2202-02-101-01 आयोजनेतर	11.75	11.84	0.09	17.57	6.93	(-) 1.20
2202-02-109-01 आयोजनेतर	1,619.62	1,678.89	59.27	1,722.92	147.01	(-) 102.98
2202-01-001-01 आयोजनेतर	19.59	16.34	(-)3.25	17.01	1.48	(-) 0.81
2202-01-101-01 आयोजनेतर	1,466.66	1,460.79	(-)5.87	1,312.39	1.01	(-) 149.40
2202-01-101-03 आयोजनेतर	1,331.55	1,007.99	(-)323.56	929.61	1.41	(-) 79.79
<b>कुल</b>	<b>4,463.77</b>	<b>4,191.32</b>		<b>4,014.64</b>	<b>158.16</b>	<b>(-) 334.83</b>

उपर्युक्त तालिका में यह देखा गया कि छः उप-शीर्षों के अंतर्गत, विभागीय प्राक्कलनों का वित्त विभाग द्वारा पुनर्मूल्यांकन किया गया तथा उच्च शिक्षा विभाग की मांग के प्रति प्रदत्त प्रावधान में ₹ 0.87 करोड़ तथा ₹ 59.27 करोड़ तक की भिन्नता अधिक प्रावधान के रूप में पाई गई जबकि प्राथमिक शिक्षा विभाग की मांग के प्रति वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त प्रावधान में ₹ 3.25 करोड़ तथा ₹ 323.56 करोड़ तक की भिन्नता कम प्रावधान के रूप में पाई गई। वास्तविक व्यय न तो विभाग के प्राक्कलन के समीप था न ही वित्त विभाग के आकलन के करीब था। ₹ 158.16 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान के बावजूद ₹ 334.83 करोड़ की बचत हुई। अतः बजट प्राक्कलन/प्रावधान अवास्तविक थे।

संयुक्त नियंत्रक (वित्त एवं लेखा) ने तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि करते हुए बताया कि आहरण एवं संवितरण अधिकारियों ने अतिरिक्त बजट की मांग की थी तथा अपूर्ण संहितागत औपचारिकता के कारण हुई बचतें भी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों की वजह से थी। यह शिक्षा/वित्त विभाग द्वारा निधियों की आवश्यकता की अप्रभावी योजना तथा अवास्तविक प्राक्कलन को इंगित करती है।

### 2.7.1.10 अपूर्ण संहितागत औपचारिकताओं के कारण बचतें

निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह देखा गया कि छः लघु शीर्षों वाले दो मुख्य शीर्षों (2202-सामान्य शिक्षा और 2205-कला एवं संस्कृति) के अंतर्गत वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 25.25 करोड़ के अंतिम अनुदान के प्रति ₹ 22.51 करोड़ का व्यय हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.74 करोड़ की अत्यधिक बचत हुई। वित्तीय वर्ष के दौरान अपूर्ण संहितागत औपचारिकताओं के कारण ₹ 2.74 करोड़ की राशि खर्च नहीं की जा सकी जिससे लाभार्थी अपेक्षित लाभों से वंचित रहे। उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त नियंत्रक (वित्त एवं लेखा) ने तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि करते हुए बताया कि अपूर्ण अपेक्षित संहितागत औपचारिकताएं समय पर पूर्ण नहीं की जा सकी।

### 2.7.1.11 व्यय का तीव्र प्रवाह

राज्य सरकार ने व्यय करने की तिमाही-वार प्रतिशतता निर्धारित (सितम्बर 1995) की है। वर्ष 2017-18 के दौरान अनुदान संख्या-08 के मामले में निर्धारित तिमाही-वार व्यय के प्रवाह को नहीं बनाए रखा गया था जिसका विवरण तालिका 2.11 में दिया गया है:

तालिका 2.11: व्यय का तीव्र प्रवाह

माह	व्यय	तिमाही	तिमाही के दौरान व्यय के लिए निर्धारित मानक ( प्रतिशत )	तिमाही व्यय ( ₹ करोड़ में )	वास्तविक व्यय का प्रतिशत
अप्रैल-2017	138.78	प्रथम	20	527.10	21
मई-2017	176.59				
जून-2017	211.73				
जुलाई-2017	242.27	द्वितीय	25	602.04	24
अगस्त-2017	174.88				
सितम्बर-2017	184.89				
अक्टूबर-2017	187.78	तृतीय	30	573.35	23
नवम्बर-2017	211.55				
दिसम्बर-2017	174.02				

माह	व्यय	तिमाही	तिमाही के दौरान व्यय के लिए निर्धारित मानक ( प्रतिशत )	तिमाही व्यय ( ₹ करोड़ में )	वास्तविक व्यय का प्रतिशत
जनवरी-2018	194.11	चतुर्थ	25	773.00	32
फरवरी-2018	201.19				
मार्च-2018	377.70				
<b>कुल</b>	<b>2,475.49</b>		<b>100</b>	<b>2,475.49</b>	<b>100</b>

उपर्युक्त तालिका से देखा गया है कि विभाग ने व्यय के लिए निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया था और वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में व्यय का तीव्र प्रवाह 32 प्रतिशत था एवं 2018 के मार्च माह के दौरान यह अनुदान के कुल व्यय (₹ 2,475.49 करोड़) का केवल 15 प्रतिशत (₹ 377.70 करोड़) था। 30 प्रतिशत के मानक के प्रति तीसरी तिमाही में व्यय 23 प्रतिशत था। यह न केवल निधियों के आबंटन एवं उपयोग हेतु योजना की कमी दर्शाता है बल्कि व्यय नियंत्रण प्रणाली के अभाव को भी दिखाता है।

### 2.7.2 अनुदान संख्या 12-“बागवानी”

2017-18 के दौरान अनुदान के अंतर्गत आबंटित निधियों तथा किए गए व्यय की समग्र स्थिति तालिका 2.12 में दर्शाई गई है:

तालिका 2.12: 2017-18 के दौरान आबंटित निधियों का प्रावधान तथा किया गया व्यय

(₹ करोड़ में)

प्रवर्ग	कुल अनुदान	किया गया व्यय	आधिक्य (+)/बचत (-)
राजस्व प्रभाग	349.40	246.43	(-) 102.97
पूंजीगत प्रभाग	26.61	26.60	(-) 0.01*
<b>कुल</b>	<b>376.01</b>	<b>273.03</b>	<b>(-) 102.98</b>

\*वास्तविक आंकड़ा केवल ₹ 5,370/- है।

उपर्युक्त तालिका से देखा गया है कि अनुदान के अंतर्गत ₹ 376.01 करोड़ के बजट प्रावधान के प्रति किए गए ₹ 273.03 करोड़ के व्यय के फलस्वरूप ₹ 102.98 करोड़ की समग्र बचत हुई। इससे प्रदर्शित होता है कि बजट प्रावधान वास्तविक नहीं थे।

#### 2.7.2.1 अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान

हिमाचल प्रदेश बजट नियमावली के परिच्छेद 1.20 के अनुसार अनुपूरक अनुदान से तात्पर्य, उस वर्ष के विनियोजन अधिनियम के पूर्व में सम्मिलित व्यय की अधिक राशि को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान विनियोजन में शामिल एक प्रावधान से है।

2017-18 के दौरान राजस्व प्रभाग-दत्तमत्त के अंतर्गत अनुदान में ₹ 349.40 करोड़ के कुल अनुदान (मूल: ₹ 303.14 करोड़ व अनुपूरक: ₹ 46.26 करोड़) के प्रति ₹ 246.43 करोड़ का व्यय हुआ। चूंकि व्यय ₹ 303.14 करोड़ के मूल प्रावधान के स्तर तक नहीं पहुंचा अतः ₹ 46.26 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

### 2.7.2.2 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत बजट प्रावधान पर आधिक्य (+)/बचत (-)

2017-18 के दौरान, सात मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹ 376.01 करोड़ का कुल प्रावधान था (मूल प्रावधान ₹ 317.75 करोड़ व अनुपूरक प्रावधान: ₹ 58.26 करोड़) जिसका विवरण तालिका 2.13 में दिया गया है:

तालिका 2.13: बजट प्रावधान पर आधिक्य (+)/बचत (-)

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	मुख्य शीर्ष	कुल बजट प्रावधान			कुल अंतिम अनुदान	व्यय	आधिक्य (+)/ बचतें (-)
		मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन			
<b>राजस्व प्रभाग</b>							
1	2059- लोक निर्माण कार्य	0.00	0.05	0.00*	0.05	0.05	-
2	2216-आवास	0.02	0.05	0.00*	0.07	0.07	-
3	2401- फसल पालन	255.74	3.08	(-) 108.64	150.18	150.32	0.14
4	2415-कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	47.38	43.08	5.53	95.99	95.99	-
<b>कुल</b>		<b>303.14</b>	<b>46.26</b>	<b>(-) 103.11</b>	<b>246.29</b>	<b>246.43</b>	<b>0.14</b>
<b>पूंजीगत प्रभाग</b>							
5	4401- फसल पालन पर पूंजीगत परिव्यय	14.61	-	0.00*	14.61	14.61	0.00*
6	4402- मृदा एवं जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय	0.00*	-	0.00*	-	-	-
7	6401- फसल पालन हेतु ऋण	0.00*	12.00	(-) 0.00*	12.00	12.00	-
<b>कुल</b>		<b>14.61</b>	<b>12.00</b>	<b>0.00*</b>	<b>26.61</b>	<b>26.61</b>	<b>(-) 0.00*</b>
<b>कुल योग</b>		<b>317.75</b>	<b>58.26</b>	<b>(-) 103.11</b>	<b>272.90</b>	<b>273.04</b>	<b>0.14</b>

\*वास्तविक आंकड़ें केवल ₹ 1,000/-; 2,000/-; (-) 2,164/-; (-) 27,077/-; (-) 663/-; (-) 1,000/-; (-) 2,000/-; (-) 3,663/-; एवं (-) 1,707/- हैं।

- मुख्य शीर्ष 2401- फसल पालन के अंतर्गत ₹ 258.82 करोड़ (मूल: ₹ 255.74 करोड़ व अनुपूरक: ₹ 3.08 करोड़) के कुल प्रावधान के प्रति ₹ 150.32 करोड़ का व्यय हुआ। क्योंकि व्यय ₹ 255.74 करोड़ के मूल प्रावधान के स्तर तक नहीं पहुंचा, ₹ 3.08 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। निदेशक, बागवानी ने कहा कि अनुपूरक प्रावधान को अनावश्यक रूप से नहीं बनाया गया था क्योंकि निधियों को योजनागत तथा आयोजनेतर के बीच हस्तांतरित नहीं किया जा सकता था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग को समग्र बजट प्रावधान से पहले उचित विश्लेषण करना चाहिए था।
- विभाग ने मुख्य शीर्ष '2401-फसल पालन' के अंतर्गत ₹ 108.64 करोड़ की राशि का पुनर्विनियोजन किया गया जिसमें बागवानी विकास परियोजना के क्रियान्वयन न होने से ₹ 65.81 करोड़ की राशि विभिन्न योजनाओं हेतु केन्द्रीय अंश के निस्तारित न किए ₹ 23.25



करोड़ की राशि तथा वेतन व विविध व्ययों पर कम आहरण के कारण शेष राशि सम्मिलित थी। निदेशक ने तथ्य स्वीकार किया। यह अवास्तविक बजट प्राक्कलन को दर्शाता है।

### 2.7.2.3 अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन

मुख्य शीर्ष '2401-फसल पालन' के चार उप-शीर्षों के अंतर्गत अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन के परिणामस्वरूप ₹ 31.43 लाख का व्यय आधिक्य हुआ। उप शीर्ष (2401-00-119-05) बागवानी विकास के मामले में ₹ 15.50 लाख के अनुपूरक प्रावधान को प्राप्त करने के बावजूद ₹ 15.95 लाख का व्यय आधिक्य हुआ। विवरण तालिका 2.14 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.14: अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन

(₹ लाख में)

क्रमांक	स्कीम/सेवा का मुख्य शीर्ष	कुल बजट प्रावधान			कुल	व्यय	आधिक्य
		मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन			
1	2401-00-119-02 (जिला एवं क्षेत्रीय स्टाफ)	2,764.82	-	(-) 509.43	2,255.39	2,256.48	1.09
2	2401-00-119-05 (बागवानी विकास)	1,568.91	15.50	(-) 47.13	1,537.28	1,553.23	15.95
3	2401-00-119-11 (सरकारी बागों/नर्सरी की स्थापना/अनुरक्षण)	804.10	-	(-) 121.90	682.20	683.04	0.84
4	2401-00-119-19 (प्रशिक्षण एवं विस्तार )	2,341.11	-	(-) 291.83	2,049.28	2,062.83	13.55
	<b>कुल</b>	<b>7,478.94</b>	<b>15.50</b>	<b>(-) 970.29</b>	<b>6,524.15</b>	<b>6,555.58</b>	<b>31.43</b>

यह दर्शाता है कि बजट प्राक्कलन वास्तविक नहीं थे।

### 2.7.2.4 प्रत्याशित बचतों का अभ्यर्पण न होना

हिमाचल प्रदेश बजट नियमावली (परिच्छेद 11.2, का अध्याय 11) के अनुसार सभी बचतें, जब भी प्रत्याशित हों, उन्हें व्यय विभाग, आगामी 15 जनवरी तक वित्त विभाग को अभ्यर्पित करना चाहिए। अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान यह देखा गया कि विभाग ने मुख्य शीर्ष 2401-फसल पालन के निम्नलिखित उप-शीर्षों के अंतर्गत ₹ 30.74 लाख की बचतें अभ्यर्पित नहीं की जिसका विवरण तालिका 2.15 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.15: अभ्यर्पित न की गई प्रत्याशित बचतें

(₹ लाख में)

लेखाओं के शीर्ष	स्कीम का नाम	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)/ बचतें (-)
2401-00-119-04	पौध संरक्षण योजना	100.00	83.70	(-) 16.30
2401-00-119-05	बागवानी विकास	72.00	57.56	(-) 14.44
	<b>कुल</b>	<b>172.00</b>	<b>141.26</b>	<b>(-) 30.74</b>

निदेशक, बागवानी ने बताया कि दर-अनुबंध पर अंतिम निर्णय न होने से बागवानी सम्बन्धी उपकरणों की कम खरीद के कारण वर्ष 2017-18 के दौरान बचतें निर्धारित समय-सीमा से पूर्व उचित रूप से अभ्यर्पित नहीं की जा सकी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग को सभी संहितागत औपचारिकताओं को समय पर सुनिश्चित करना चाहिए था।

### 2.7.2.5 व्यय का तीव्र प्रवाह

राज्य सरकार ने व्यय करने की तिमाही-वार प्रतिशतता निर्धारित (सितम्बर 1995) की है। वर्ष 2017-18 के दौरान अनुदान संख्या 12 के मामले में तिमाही-वार निर्धारित व्यय के प्रवाह को नहीं बनाए रखा गया था, जिसका विवरण तालिका 2.16 में दिखाया गया है:

तालिका 2.16: व्यय का तीव्र प्रवाह

माह	व्यय	तिमाही	तिमाही के दौरान व्यय के लिए निर्धारित मानक ( प्रतिशत में )	तिमाही में व्यय ( ₹ करोड़ में )	वास्तविक व्यय का प्रतिशत
अप्रैल-2017	17.43	प्रथम	20	53.73	19
मई-2017	8.68				
जून-2017	27.62				
जुलाई-2017	18.55	द्वितीय	25	59.42	22
अगस्त-2017	9.33				
सितम्बर-2017	31.54				
अक्टूबर-2017	21.74	तृतीय	30	57.18	21
नवम्बर-2017	17.04				
दिसम्बर-2017	18.40				
जनवरी-2018	20.17	चतुर्थ	25	102.71	38
फरवरी-2018	38.12				
मार्च-2018	44.42				
<b>योग</b>	<b>273.04</b>		<b>100</b>	<b>273.04</b>	<b>100</b>

विभाग ने व्यय के लिए निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया था और वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में व्यय का तीव्र प्रवाह 38 प्रतिशत था एवं केवल 2018 के मार्च माह के दौरान यह अनुदान के कुल व्यय (₹ 273.04 करोड़) का 16 प्रतिशत (₹ 44.42 करोड़) था। तीसरी तिमाही में व्यय 30 प्रतिशत के मानक के प्रति 21 प्रतिशत था। यह न सिर्फ निधियों के उपयोग एवं आबंटन हेतु योजना में कमी को दर्शाता है बल्कि व्यय नियंत्रण प्रणाली के अभाव को भी दर्शाता है।

### 2.7.2.6 बजटीय विवरण की प्रस्तुति में विलम्ब

हिमाचल प्रदेश बजट नियमावली के अनुसार विभागाध्यक्ष से बजट प्राक्कलन, आधिक्य एवं अभ्यर्पण विवरणी तथा आधिक्य एवं अभ्यर्पण की अंतिम विवरणी क्रमशः 25 अक्टूबर, 01 दिसम्बर व 15 जनवरी तक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

तथापि, यह देखा गया कि निदेशक, बागवानी ने वर्ष 2017-18 हेतु बजट प्राक्कलन, आधिक्य एवं अभ्यर्पण विवरणी तथा आधिक्य एवं अभ्यर्पण की अंतिम विवरणी पांच दिनों तथा 120 दिनों के विलम्ब से प्रस्तुत की, जिसका विवरण तालिका 2.17 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.17: वित्त विभाग को बजटीय रिटर्न प्रस्तुत करने के विवरण

क्रमांक	रिटर्न का नाम	विभाग	देय तिथि	प्रस्तुत करने की वास्तविक तारीख	दिनों में विलम्ब
1	2017-18 हेतु बजट प्राक्कलन	बागवानी विभाग	25-अक्टूबर-16	22-फरवरी-17	120
2	2017-18 हेतु आधिक्य एवं अभ्यर्पण विवरण	बागवानी विभाग	01-दिसम्बर-17	11-दिसम्बर-2017	10
3	2017-18 हेतु आधिक्य एवं अभ्यर्पण का अंतिम विवरण	बागवानी विभाग	15-जनवरी-18	20- जनवरी -2018	5

यह दर्शाता है कि 2017-18 के दौरान विभाग ने बजट आकलनों तथा अन्य बजटीय रिटर्न को प्रस्तुत करने की निर्धारित समय-सारणी का अनुसरण नहीं किया था।

## 2.8 कोषागारों के निरीक्षण का परिणाम

### 2.8.1 पेंशन लाभों का अधिक भुगतान

वर्ष 2016-17 के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा जिला कोषागारों/कोषागारों के निरीक्षण 2016-17 के दौरान पेंशन भुगतान के अभिलेखों की नमूना-जांच में देखा गया कि चार जिला कोषागार अधिकारियों ने नौ पारिवारिक पेंशनभोगियों को ₹ 1.63 लाख तक की अधिकतम सीमा से अधिक भुगतान किया था, जैसाकि तालिका 2.18 में ब्यौरा दिया गया है। अधिक भुगतान निर्धारित अवधि के बाद बढ़ाई गई परिवार पेंशन दर तथा 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पारिवारिक पेंशन के प्राधिकार के कारण हुआ था।

तालिका 2.18: पेंशन लाभों का अधिक भुगतान ( परिवार पेंशन के आधार पर )

(₹ लाख में)

क्रमांक	जिला कोषागार/कोषागार का नाम	अधिक भुगतान की प्रकृति	मामलों की संख्या	भुगतान		
				बैंक के माध्यम से	कोषागार के माध्यम से	कोषागार वार कुल
1.	जिला कोषागार, बिलासपुर	पारिवारिक पेंशन	01	---	कोषागार के द्वारा	0.59
2.	जिला कोषागार, कांगड़ा स्थित धर्मशाला	पारिवारिक पेंशन	01	---	कोषागार के द्वारा	0.29
3.	जिला कोषागार, मंडी	पारिवारिक पेंशन	03	---	कोषागार के द्वारा	0.28
4.	जिला कोषागार, शिमला	पारिवारिक पेंशन	04	---	कोषागार के द्वारा	0.47
		योग	09			1.63

स्रोत: वर्ष 2016-17 के लिए हिमाचल प्रदेश में कोषागारों की कार्यप्रणाली पर महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा तैयार किया गया वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन

### 2.8.2 समूह बीमा योजना के तहत किए गए भुगतान का गलत वर्गीकरण

जिला कोषागारों/कोषागारों की हिमाचल प्रदेश कोषागार ऑनलाईन सूचना प्रणाली में उपलब्ध वर्ष 2016-17 के आंकड़ों की नमूना जांच के दौरान यह देखा गया कि नौ जिला कोषागारों तथा 18 कोषागारों द्वारा बचत निधि के अंतर्गत ₹ 4.65 लाख की लागत का भुगतान बीमा निधि के खाते पर गलत तरीके से बुक किया गया। इसी प्रकार बचत निधि के खाते पर ₹ 17.39 लाख की भुगतान से सम्बन्धित राशि को बीमा निधि में गलत तरीके से बुक किया गया। जिसका विवरण परिशिष्ट 2.15 में है। गलत बुकिंग का परिणाम बचत तथा बीमा निधि पर देय ब्याज के अशुद्ध आकलन के रूप में हुआ।

### 2.8.3 पेंशनभोगी शीर्षों के तहत व्यय का गलत वर्गीकरण

वर्ष 2016-17 हेतु हिमाचल प्रदेश कोषागार ऑनलाईन सूचना प्रणाली में उपलब्ध आंकड़ों की नमूना जांच के दौरान यह देखा गया कि पेंशनभोगी लेखा शीर्षों के अंतर्गत ₹ 41.81 लाख की राशि का गलत वर्गीकरण किया गया जिसका जिला कोषागार अधिकारियों/कोषागार अधिकारियों द्वारा दिया गया विवरण तालिका 2.19 तथा परिशिष्ट 2.16 में दर्शाया गया है। गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप लेखाओं में व्यय का अशुद्ध चित्रण होता है।

तालिका 2.19: पेंशनभोगी शीर्षों के तहत व्यय का गलत वर्गीकरण

(₹ लाख में)

क्रमांक	सही लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	लेखा शीर्ष जिसके अंतर्गत राशि को गलत बुक किया गया	राशि
1.	2071-01-104-02	डी.सी.आर.जी	2071-01-102-02	8.70
2.	2071-01-101-03	पेंशन	2071-01-101-02 एवं 2071-01-105-01	33.11
			कुल	41.81

स्रोत: वर्ष 2016-17 के लिए हिमाचल प्रदेश में कोषागारों की कार्य प्रणाली पर महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा तैयार किया गया वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन।

### 2.8.4 बिना बजट बिलों का अनुमोदन

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली भाग-I के नियम 17.14 में निहित प्रावधानों के अनुसार कोई भी सरकारी कर्मचारी पहले से अतिरिक्त विनियोजन प्राप्त किए बिना सम्बन्धित शीर्षों के अंतर्गत व्यय हेतु प्रदत्त राशि से अधिक खर्च नहीं कर सकता। यदि सरकारी कर्मचारी वार्षिक विनियोजन की सीमा पार करता है तो उसे इस व्यय आधिक्य के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमावली 2007 के नियम 5.20 का बिंदू 15 आगे कहता है कि कोषागार में बिल सहायक, बिल पास करते समय संवितरण एवं आहरण अधिकारी के पास सम्बन्धित शीर्ष के तहत पर्याप्त बजट की उपलब्धता की जांच पड़ताल कर लें।

जिला कोषागारों/कोषागारों में वर्ष 2016-17 हेतु आंकड़ों की नमूना-जांच के दौरान यह देखा गया कि बजट उपलब्ध न होने के बावजूद 105 मामलों में 12 जिला कोषागार अधिकारियों और 20 कोषागार अधिकारियों ने 85 संवितरण एवं आहरण अधिकारियों के सम्बन्ध में ₹ 12.98 करोड़ की राशि अधिकृत की थी जिसका विवरण परिशिष्ट 2.17 में दर्शाया गया है। वर्ष 2016-17 के दौरान बिना बजट बिलों के अनुमोदन, न सिर्फ विधायिका द्वारा प्रदान किए गए विनियोजन का उल्लंघन करते हुए निधियों के अनाधिकृत आहरण में परिणत हुआ बल्कि वित्तीय अनुशासनहीनता की ओर भी ले गया।

### 2.8.5 निधियों का संस्वीकृत बजट से अधिक अनुमोदन

हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमावली 2007 के नियम 5.20 के बिंदु 15 में निहित प्रावधानों के अनुसार कोषागार अधिकारी को बिल पास करते समय यह देखना आवश्यक है कि आहरण एवं संवितरण अधिकारी के पास सम्बन्धित शीर्ष के तहत पर्याप्त बजट उपलब्ध है।

कोषागारों के निरीक्षण (2016-17) के दौरान यह देखा गया कि 12 जिला कोषागार अधिकारियों तथा 72 कोषागार अधिकारियों ने 370 संवितरण एवं आहरण अधिकारियों को उपलब्ध बजट से अधिक ₹ 57.22 करोड़ की राशि अधिकृत की जिसका विवरण परिशिष्ट 2.18 में दिया गया है। वर्ष 2016-17

के दौरान संस्वीकृत बजट से आधिक्य में निधियों का अनुमोदन न सिर्फ विधायिका द्वारा प्रदान किए गए विनियोजन का उल्लंघन करते हुए निधियों के अनाधिकृत आहरण में परिणत हुआ बल्कि वित्तीय अनुशासनहीनता की ओर भी ले गया। मूलरूप से अनाधिकृत आहरणों के कुछ मामले नीचे सूचीबद्ध हैं:

जिला कोषागार/कोषागार का नाम	संवितरण एवं आहरण अधिकारियों की संख्या	मामलों की संख्या	अधिकृत आधिक्य राशि ( ₹ लाख में )
जिला कोषागार, चम्बा	05	06	220.07
राज्य कोषागार, कांगड़ा	09	10	1,357.19
जिला कोषागार, मण्डी	08	08	303.46
जिला कोषागार, नालागढ़	06	06	248.48

## 2.9 निष्कर्ष

2017-18 के दौरान, कुल अनुदानों एवं विनियोजनों के ₹ 41,267.45 करोड़ के प्रति ₹ 37,811.09 करोड़ का व्यय किया। ₹ 3,456.36 करोड़ की समग्र बचतें, विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों में हुई ₹ 3,843.12 करोड़ की बचतों का परिणाम थी, जो कि दो अनुदानों एवं एक विनियोजन में हुए ₹ 386.76 करोड़ के व्यय आधिक्य से समायोजित हुई जिसका, 2011-12 से 2016-17 की अवधि हेतु ₹ 9,402.18 करोड़ के व्यय आधिक्य के साथ-साथ, भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के तहत राज्य विधायिका से नियमितिकरण करवाना अपेक्षित है।

21 उप-शीर्षों में ₹ 1,340.08 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक/अपर्याप्त सिद्ध हुए क्योंकि व्यय या तो मूल प्रावधान के अनुरूप नहीं था अथवा कुल अनावृत्त व्यय आधिक्य रहा था तथा 20 उप-शीर्षों (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ अथवा अधिक) में निधियों का पुनर्विनियोजन अनुचित रूप से किया गया था जिसके परिणामस्वरूप आधिक्य/बचतें हुई। 60 मामलों में (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ अथवा अधिक) वित्तीय वर्ष के अंत पर ₹ 2,558.50 करोड़ का अभ्यर्पण किया गया। 70 मामलों/उप-शीर्षों में ₹ 681.87 करोड़ राशि के 100 प्रतिशत अनुदान अभ्यर्पित किए गए थे।

छ: मामलों में वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान किया गया व्यय 65 तथा 97 प्रतिशत के मध्य था और केवल मार्च 2018 के महीने के दौरान इन लेखा-शीर्षों के अंतर्गत किया गया व्यय, कुल व्यय का 58 से 88 प्रतिशत था।

